

IV

बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड
महेश भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना -4

कार्यालय आदेश
संचिका सं० - खा०/रिवेट/86/100/2015-16/2016-17

वित्तीय वर्ष 2016-17 में विभागीय ज्ञापांक-1088 दिनांक-14.03.2018 द्वारा खादी संस्था/समितियों को खादी उत्पादन के प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से खादी संस्थाओं को बिहार राज्य में किये गये कुल उत्पादन पर 10% छूट दिया जाना है।

01. वर्ष 2016-17 का कुल 05 खादी संस्था/समितियों को संलग्न सूची (अनुलग्नक) के अनुसार उत्पादन के आधार पर रु० 18,00,477.00 (अठारह लाख चार सौ सतहत्तर रुपये) मात्र भुगतान करने हेतु स्वीकृति दी जाती है।

02. उक्त स्वीकृत राशि का भुगतान संस्था/समितियों को बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से किया जायेगा।

03. उक्त राशि का भुगतान संस्था/समिति को राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 के रिवेट मद में उपलब्ध करायी गई राशि से की जायेगी।

04. खादी संस्थाओं का रिवेट की राशि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से सत्यापित कराकर दिया गया था, जिसका खादी बोर्ड के P.M.A Grant Thornton India LLP द्वारा जाँच किया है एवं भुगतान करने की अनुशंसा की गई है।

05. भविष्य में यदि इन दावा की अंकेक्षण जाँच महालेखाकार द्वारा करने के क्रम में कोई त्रुटिपूर्ण राशि अमान्य की जाती है, तो उसका समायोजन संबंधित संस्था/समिति से उनके बकाया दावा की राशि से या संस्था/समिति को एक मुश्त राशि बोर्ड में जमा करना पड़ेगा।

ज्ञापांक 58/190

प्रतिलिपि :- सहायक लेखा पदाधिकारी, ऋण/अंकेक्षण/रिवेट (योजना) बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

02. सहायक लेखा पदाधिकारी (ऋण) को आदेश दिया जाता है कि खादी बोर्ड द्वारा खादी संस्था के जिम्मे खादी ऋण मद में 20% रिवेट दावा की राशि कटौती की गई है जिसका समायोजन करेंगे। कटौती की गई राशि को बोर्ड के ऋण बैंक खाता में जमा करेंगे। अनुलग्नक (सूची के अनुसार)

ज्ञापांक 58/190

प्रतिलिपि :- सहायक लेखा पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यकतार्थ प्रेषित।

02. उन्हें निदेश है कि your self RTGS/NEFT के द्वारा रिवेट दावा की राशि का भुगतान करेंगे। (अनुलग्नक सूची अनुसार) तथा बिहार स्टेट खादी एण्ड मिलेज इण्डस्ट्रीज बोर्ड, पटना के नाम से रेखांकित चेक के माध्यम से संस्था/समितियों का खादी ऋण मद में कटौती की गई राशि का भुगतान करेंगे।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

73

ज्ञापांक

50/190

पटना, दिनांक

29/06/80/8

प्रतिलिपि :- अध्यक्ष/मंत्री, संस्था/समिति को उक्त भुगतान की जाने वाली रिबेट दावा में किसी प्रकार की गलती पाये जाने पर संस्था/समितियों की जिम्मेबारी होगी और उक्त राशि का संस्था/समिति से वसूलनीय होगी।

(23) 25-06-80

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड
महेश भवन, गांधी मैदान पुरब पटना 4

वर्ष 2016-17 का भुगतान (रिवेट दावा)

क्र०	संस्था/समिति का नाम	उत्पादन का बॉकड़ा रु० लाख में	कुल उत्पादन का 10 प्रतिशत रिवेट भुगतान राशि	भुगतान राशि में से 20% प्रतिशत खादी ऋण मद में कटौती की गई राशि	समिति को भुगतान राशि
1	2	3	4	5	6
1	लक्ष्मीनगर ग्रामोद्योग सहयोग समिति लि०, पो- भच्छी, मधुबनी	12.92	129200.00	25840.00	103360.00
2	भरौल ग्रामोद्योग सहयोग समिति लि०, ग्राम-भरौल, पो०-कोठिया भाया-संझारपुर बाजार, जिला-मधुबनी 847404	11.12	111200.00	22240.00	88960.00
3	स्वदेशी कम्बल आश्रम, अरफाबाद, गुड़ की मंडी, शेरशाह रोड, पो०-गुलजारबाग, पटना-7	12.35	123500.00	24700.00	98800.00
4	नाथनगर ग्रामोद्योग सहयोग समिति लि०, भागलपुर-812006	130.14	1301400.00	260280.00	1041120.00
5	आदर्श महिला विकास सहयोग समिति लि०, जगन्नाथ सुडी लेन, मन्दरोजा, भागलपुर	15.23	135177.00	27035.00	108142.00
		181.76	1800477.00	360095.00	1440382.00

रजिस्ट्रार
25.06.18

